सराहनीय कार्य - माह अगस्त – 2026

<u>थाना – जरवल रोड</u>

- **पुलिस टीम पर फायर कर भाग रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस 01 बांका/ चाकू आदि बरामद**

दिनांक – 01.08.2026
मु0अ0सं0 व धारा –
मु0अ0सं0 153/2026 धारा 109(1) BNS 3/25/27 व 4/25 शस्त्र अधि0

गिरफ्तार अभियुक्त –
1.अशरफ पुत्र शरीफुल निवासी ग्राम हरचन्दा थाना जरवलरोड जनपद बहराइच
2.शरीफुल पुत्र अहमद हसन निवासी ग्राम हरचन्दा थाना जरवलरोड जनपद बहराइच
3.अकरम पुत्र शरीफुल निवासी ग्राम हरचन्दा थाना जरवलरोड जनपद बहराइच

बरामदगी –
एक अदद देशी तमंचा **315** बोर, एक अदद खोखा कारतूस, एक अदद जिन्दा कारतूस **315** बोर
एक अदद देशी तमंचा **12** बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस **12** बोर
एक अदद बांका, चाकू व एक अदद बोरी मे प्लास्टिक की रस्सी

विवरण-
नांक **01.08.2026** को वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान ग्राम दातारामपुरवा मोड़ के पास सड़क किनारे **03** संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रुकने का संकेत देकर पूछताछ का प्रयास किया गया, किन्तु वे पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने पर अभियुक्तगण ने अपने पास मौजूद अवैध तमंचे से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस बल द्वारा आवश्यक सतर्कता एवं आत्मरक्षार्थ बचाव करते हुए अभियुक्तों की घेराबंदी कर उन्हें सकुशल गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में उनकी पहचान **1.**अशरफ, शरीफुल, अकरम के रूप में हुई जिनकी तलाशी के दौरान कब्जे से **01** अदद तमंचा **12** बोर, **01** अदद जिन्दा कारतूस **12** बोर, **01** अदद तमंचा **.315** बोर, **01** अदद खोखा कारतूस **.315** बोर, **01** अदद जिन्दा कारतूस **.315** बोर, **01** अदद बांका, **01** अदद चाकू, **01** बोरी तथा प्लास्टिक की रस्सी बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 **153/2026**, धारा **109(1)** भारतीय न्याय संहिता **(BNS)** तथा धारा **3/25/27** एवं **4/25** शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तारी टीमः-
1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह
2. वरि0उ0नि0 श्री बिन्देश्वरी प्रसाद यादव

3. उ0नि0श्री रत्नेश सिंह
4. हे0का0 महेन्द्र यादव
5. का0 रामदेव प्रजापति
6. का0व्यासमुनि वर्मा
7. का0राम सागर वर्मा

<u>थाना – सर्विलांस सेल</u>

- बहराइच पुलिस/ सर्विलांस सेल की बड़ी कार्यवाही
- **211 गुमशुदा मोबाइल अनुमानित कीमत ₹ 58,25,300 बरामद**
- बरामद मोबाइल उनके धारकों को किया गया सुपुर्द

दिनांक – 02.08.2026

बरामदगी –

- कुल **211** मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत ₹**58,25,300**)

विवरण-

पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में जनपद में खोए हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी हेतु सर्विलांस टीम एवं समस्त थाना प्रभारियों के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जनपदीय सर्विलांस टीम द्वारा सभी थानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार द्वारा संचालित सीईआईआर **(CEIR)** पोर्टल की नियमित मॉनीटरिंग की गई।

उक्त अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न कंपनियों, जिनमें सैमसंग, वीवो, ओप्पो, टेक्नो, रेडमी, वनप्लस आदि के कुल **211** गुमशुदा मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए गए। बरामद मोबाइल फोनों को आज दिनांक **02-08-2026** को पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया। अपने खोए हुए मोबाइल फोन पुनः प्राप्त कर मोबाइल धारकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच एवं जनपदीय पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया तथा पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने खोए हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जनपदीय सर्विलांस टीम के उत्साहवर्धन हेतु उन्हें पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की।

बरामदगी टीमः-

सीईआईआर पोर्टल पर नियुक्त कर्मी एवं थाना स्तर पर गठित मोबाइल रिकवरी टीम।

थाना – रूपईडीहा

थाना रूपईडीहा पुलिस द्वारा दो संदिग्ध के कब्जे से 23,30,150/- नेपाली मुद्रा बरामद

दिनांक – 02.08.26

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. उमाशंकर तिवारी पुत्र भगौती प्रसाद तिवारी निवासी सिंघानिया मिल, कस्बा एवं थाना रूपईडीहा, जनपद बहराइच
2. संजय अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय संतराम अग्रवाल निवासी बीएसएनएल टावर, तिकोनिया, जनपद लखीमपुर खीरी

बरामदगी –

- **23,30,150/- रूपये नेपाली मुद्रा**

विवरण-

जनपद बहराइच के भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने, सीमापार होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा अवैध धन के आवागमन पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना रूपईडीहा पुलिस द्वारा निरंतर सघन निगरानी एवं सतर्क चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना रूपईडीहा पुलिस ने सतर्कता, कुशल कार्यशैली, सूझबूझ एवं प्रभावी पूछताछ के बल पर दो संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जे से भारी मात्रा में नेपाली मुद्रा बरामद कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। थाना रूपईडीहा पुलिस द्वारा कस्बा रूपईडीहा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों की निगरानी एवं चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों— **1.** उमाशंकर तिवारी पुत्र भगौती प्रसाद तिवारी निवासी सिंघानिया मिल, कस्बा एवं थाना रूपईडीहा, जनपद बहराइच तथा **2.** संजय अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय संतराम अग्रवाल निवासी बीएसएनएल टावर, तिकोनिया, जनपद लखीमपुर खीरी—को रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उनके कब्जे में मौजूद एक कपड़े के झोले की नियमानुसार तलाशी लेने पर उसमें प्लास्टिक की काली पन्नी के भीतर भारी मात्रा में नेपाली मुद्रा बरामद हुई। बरामदगी के दौरान नेपाली मुद्रा के **1000** रुपये मूल्यवर्ग के **20** बंडल एवं **79** अतिरिक्त नोट, **500** रुपये मूल्यवर्ग के **5** बंडल तथा **100** एवं **50** रुपये मूल्यवर्ग के नोट सहित कुल **23,30,150** (तेईस लाख तीस हजार एक सौ पचास) नेपाली रुपये बरामद किए गए। समस्त बरामद नेपाली मुद्रा को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। बरामद धनराशि के संबंध में दोनों व्यक्तियों से उसके स्रोत, परिवहन के उद्देश्य तथा उपलब्ध वैध अभिलेखों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई, किन्तु वे किसी भी प्रकार का संतोषजनक स्पष्टीकरण अथवा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। प्रथम दृष्टया प्रकरण संदिग्ध प्रतीत होने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। बरामद नेपाली मुद्रा के संबंध में संबंधित जांच एजेंसियों द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

गिरफ्तारी टीमः-

1. उ0नि0 श्री जितेश कुमार सिंह
2. आ0 मनोज कुमार वर्मा
3. आ0 सुभेन्द्र चौहान

थाना – रुपईडीहा

25 ग्राम नाजायज स्मैक (अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत 5 लाख रुपये) बरामद,
01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 03.08.2026
मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 206/2026 धारा 8/21 NDPS ACT थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –
अरशद कुरैशी पुत्र मुस्तफा कुरैशी निवासी चिकवन मोहल्ला मुनीरगंज भट्ठा थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी –

1. 25 ग्राम स्मैक
2. 01 मोबाईल

विवरण-
दिनांक 02.08.2026 को थाना रूपईडीहा पुलिस व SSB की संयुक्त टीम द्वारा रात्रि गश्त के दौरान थाना रुपईडीहा क्षेत्रान्तर्गत नेपालगंज रोड रेलवे स्टेशन के पास भारत नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 651/2 के पास संदिग्ध अरशद कुरैशी पुत्र मुस्तफा कुरैशी निवासी चिकवन मोहल्ला मुनीरगंज भट्ठा थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच के कब्जे से 25 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद बरामद हुआ । नाजायज स्मैक बरामदगी के आधार पर अरशद कुरैशी उपरोक्त को हिरासत पुलिस में लेकर दिनांक 03.08.2026 को थाना रुपईडीहा पर मु0अ0सं0 206/2026 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया ।

गिरफ्तारी टीमः-
पुलिस टीम थाना रुपईडीहा

- प्रभारी निरीक्षक हरेन्द्र कुमार मिश्र
- उ0नि0 श्री सूर्यभान
- आ0 अभिषेक राय
- आ0 मनोज कुमार वर्मा
- आ0 जयचन्द गौड़

SSB टीम F - कम्पनी 42 BN नानपारा, बहराइच

- SI/GD श्री देवेन्द्र सिंह
- CT/GD शुभम पटेल
- CT/GD सुखबीर सिंह
- डाग हैण्डलर CT/GD फारुख मय डाग रैंको 679

<u>थाना – नवाबगंज</u>

अवैध शस्त्र 01 अदद .12 बोर तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद,
01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 03.08.2026
मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 99/2026 धारा 3/25 Arms Act T थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –
1. माधवराम यादव पुत्र आज्ञाराम यादव निवासी सनमनगांव थाना नवाबगंज जनपद बहराइच

बरामदगी –
01 अदद 12 बोर तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस

विवरण-
दिनांक 02.08.2026 को थाना नवाबगंज द्वारा अपराध व अपराधियो तलाश व चेकिंग के दौरान थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत अमृतपुर गांव बंधे के सामने ढलान के पास संदिग्ध व्यक्ति माधवराम यादव पुत्र आज्ञाराम यादव निवासी सनमनगांव थाना नवाबगंज जनपद बहराइच उम्र करीब 28 वर्ष के कब्जे से 01 अदद 12 बोर तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद बरामद हुआ। अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के आधार पर माधवराम उपरोक्त को हिरासत पुलिस में लेकर दिनांक 02.08.2026 को थाना नवाबगंज पर मु0अ0स0 99/2026 धारा 3/25 Arms Act पंजीकृत कर अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-
1. उ0नि0 श्री विशाल पाठक
2. हे0का0 मुलायम यादव
3.हे0का0 महेन्द्र यादव
4.का0 अजय प्रताप चौधरी

<u>थाना – नवाबगंज</u>

- बहराइच पुलिस की बड़ी कार्यवाही
- हत्या की घटना का सफल अनावरण
- पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद

दिनांक – 04.08.2026
मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 100/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –
अजीज पुत्र अनीस निवासी नवाबगंज थाना नवाबगंज जनपद बहराइच

बरामदगी –
01 अदद आलाकत्ल दुपट्टा

विवरण-
थाना नवाबगंज पुलिस को वादी द्वारा दिनांक **03.08.2026** को सूचना दी गई कि उसके दामाद अजीज पुत्र अनीस निवासी कस्बा नवाबगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बहराइच ने दिनांक **01.08.2026** को प्रातः लगभग **10:00** बजे बताया की सिलाई करते समय गिर जाने के कारण उसकी पत्नी (वादी की पुत्री) की मृत्यु हो गई है। घटना संदिग्ध प्रतीत होने एवं वादी द्वारा व्यक्त संदेह के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 **100/2026** धारा **103(1)** बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में की गई विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक **04.08.2026** को मुकदमे के नामजद अभियुक्त अजीज पुत्र अनीस निवासी कस्बा नवाबगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बहराइच को नूरी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

विवेचना एवं पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। उसके अनुसार विवाह से पूर्व फखरपुर के एक व्यक्ति तथा बाद में नवाबगंज में भी किसी अन्य व्यक्ति से पत्नी के अवैध संबंध होने की आशंका के कारण पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। दिनांक **10.07.2026** को वह मुंबई से लौटकर पत्नी के साथ ससुराल गया, जहां सास-ससुर ने दोनों को समझाकर वापस भेज दिया। इसके बाद भी दोनों के बीच विवाद बना रहा। दिनांक **01.08.2026** को लगभग **10:00** बजे जब उसकी पत्नी घर में अकेली बैठकर सिलाई कर रही थी, उसने घर का दरवाजा बंद कर पत्नी के दुपट्टे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया अनुरूप माननीय न्यायालय रवाना किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

गिरफ्तारी टीमः-

1. प्र0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार यादव
2. उ0नि0 धन्नजय कुमार
3. हे0का0 मुलायम सिंह
4. हे0का0 अरविन्द कुमार

5. हे0का0 शेख अशफाक आलम
6. म0का0 निराला चौरसिया

थाना – को0नगर

साइबर फ्रॉड में बैंक खाते का दुरूपयोग करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक –

मु0अ0सं0 व धारा –

मु0अ0सं0 135/2026 धारा धारा 318(4)/319(2)/308(5)/115(2)/352 बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 61(2)(A) बीएनएस व 66D IT एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सहाबुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम महरी बौकहां थाना रामगांव जनपद बहराइच

2. शिवम मौर्या उर्फ चन्दन पुत्र प्रेम नरायन उम्र 24 वर्ष निवासी गुलहरिया मिर्जापुर थाना रामगांव जनपद बहराइच।

3. आदर्श बाजपेयी उर्फ शशांक बाजपेयी पुत्र राममूर्ति बाजपेयी उम्र 18 वर्ष निवासी तिवारीपुरवा दाखिला मिर्जापुर थाना रामगांव जनपद बहराइच।

बरामदगी –

03 मोबाइल फोन

विवरण-

थाना कोतवाली नगर पर वादी द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि विपक्षीगण ने कूटरचित ढंग से उसका इंडियन बैंक में खाता खुलवाया तथा अभियुक्त सौरभ मिश्रा द्वारा धोखाधड़ीपूर्वक उक्त खाते में अपना मोबाइल नंबर लिंक करा दिया। इसके बाद अभियुक्तों ने वादी की पासबुक एवं एटीएम कार्ड अपने कब्जे में रखकर विभिन्न राज्यों के लोगों से साइबर ठगी की धनराशि वादी के खाते में मंगाकर निकाल ली। विरोध करने पर वादी के साथ गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी दी तथा डरा-धमकाकर ₹4,200 भी ले लिए।
उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।
प्रकरण में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण 1. सहाबुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन, 2. शिवम मौर्या उर्फ चन्दन पुत्र प्रेम नारायण तथा 3. आदर्श बाजपेयी उर्फ शशांक बाजपेयी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर आज दिनांक 04.08.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-

1. प्र0नि0 श्री वृजेन्द्र कुमार मिश्र
2. उ0नि0 रवि कुमार यादव
3. उ0नि0 रविशंकर
4. हे0का0 अगंद कुमार
5. रि0आ0 अस्मित कुमार त्रिपाठी

थाना – विशेश्वरगंज

बहराइच पुलिस की बड़ी कार्यवाही

01 वर्ष से फरार मफरूर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक –

मु0अ0सं0 व धारा –

मु0अ0सं0 164/2025, धारा 191(2), 352, 351(3), 324(4), 326(g) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. ननके पुत्र देवी प्रसाद नि0ग्राम कांधभारी थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच

विवरण-

दिनांक 10.06.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती राजकुमारी पत्नी प्रभात उर्फ सुभाष चन्द्र, निवासी ग्राम कांधभारी, थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच द्वारा थाना स्थानीय को सूचना दी गयी कि विपक्षीगण द्वारा वादिनी व उसके परिजनों को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए हुए ईंट-पत्थर फेंककर सीमेंट का टीन शेड क्षतिग्रस्त कर दिया गया, साथ ही मुर्गी फार्म में आग लगाकर उसमें रखा सामान नष्ट कर दिया गया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 164/2025, धारा 191(2), 352, 351(3), 324(4), 326(g) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उ0नि0 श्री भुद्दुर वर्मा को सुपुर्द की गयी।

विवेचना के दौरान अभियुक्त बदलू पुत्र देवी प्रसाद को दिनांक 30.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शेष 03 अभियुक्तगण दीपू, अंकित एवं ननके फरार थे, जिनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से नियमानुसार गिरफ्तारी वारंट एवं कुर्की आदेश प्राप्त किए गए। विवेचना उपरांत दिनांक 13.04.2026 को आरोप-पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित करते हुए अभियुक्तगण को मफरूर घोषित किया गया। जिसके उपरान्त अभियुक्त दीपू एवं अंकित न्यायालय में उपस्थित हो गए, जबकि अभियुक्त ननके फरार रहा। जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक बहराइच के आदेशानुसार दिनांक 18.07.2026 को टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आज दिनांक 07.08.2026 को अभियुक्त ननके उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-

1. उ0नि0 श्री संजय कनौजिया
2. का0 सुरजीत कुमार
3. का0 योगेन्द्र पाल
4. म0का0 ममता उपाध्याय

थाना – स्वॉट/नानपारा

बहराइच पुलिस की विद्युत तार चोरी के शातिर अपराधियों के साथ थाना नानपारा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ ।

- **देर रात क्राइम ब्रांच की स्वॉट टीम, थाना नानपारा पुलिस की विद्युत तार चोरी के शातिर अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ ।**
- **01 अपराधी के पैर में लगी गोली, विद्युत तार चोरी गिरोह के कुल 5 शातिर अपराधी मुठभेड़ में गिरफ्तार।**
- **10 बण्डल विद्युत तार बरामद**
- **मौके पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव सहित उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना स्थल का किया गया निरीक्षण ।**

दिनांक – 08.08.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

अनावरित - मु0अ0सं0 286/2026 धारा 190, 189(2), 303(2), 326, 324(5) बीएनएस, धारा 136, 139, 140 विद्युत अधिनियम, धारा 3/4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 7 सीएलए एक्ट

पंजीकृत - मु0अ0सं0 287/2026 धारा 109(1) बीएनएस, 3, 7, 25, 27 आयुध अधिनियम, 207 मोटरवाहन अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. कदीर पुत्र शफीक निवासी सिद्धवाह थाना माती जनपद बाराबंकी (मुठभेड़ में घायल)
2. कृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र कैलाश गुप्ता निवासी रत्तीपुरवा रेउसा सीतापुर
3. कुलदीप कुमार गुप्ता पुत्र उमाशंकर गुप्ता निवासी खरहुआ रेउसा सीतापुर
4. हरेन्द्र गुप्ता पुत्र उमाशंकर गुप्ता निवासी खरहुआ रेउसा सीतापुर
5. उदयराज चौहान पुत्र सुरेश निवासी खरहुआ रेउसा सीतापुर

बरामदगी –

- **10 बण्डल विद्युत तार**
- **01 तमंचा .09 एमएम बोर**
- **01 खोखा कारतूस .09 एमएम**
- **01 जिंदा कारतूस .09 एमएम**
- **01 मारूती ईको वैन**
- **तार काटने के औजार/ सामान**
- **03 आधार कार्ड, 02 पैन कार्ड, 01 डीएल**
- **04 मोबाइल**

विवरण-

दिनांक 06/07.08.2026 की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा थाना नानपारा क्षेत्रांतर्गत विद्युत तार चोरी संबंधित सूचना श्री सुभाष पवार अवर अभियन्ता द्वारा प्राप्त हुई जिसके संबंध में दिनांक 07.08.2026 को थाना नानपारा पर मु0अ0सं0

286/2026 धारा **190, 189(2), 303(2), 326, 324(5)** बीएनएस, धारा **136, 139, 140** विद्युत अधिनियम, धारा **3/4** सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, **7** सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा थाना नानपारा में हुई बिजली के तार चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु क्राइम ब्रांच की स्वाट व थाना नानपारा पुलिस की संयुक्त टीम का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। संयुक्त टीम द्वारा घटना के अनावरण हेतु सतत प्रयास किये जा रहे थे कि इसी क्रम में आज दिनांक **08.08.2026** की रात्रि प्रभारी निरीक्षक नानपारा व एसओजी की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बिजली तार चोरों का गैंग चोरी के माल को ठिकाने लगाने और अन्य घटना कारित के प्रयास में हाड़ा बसेड़ी के पास सरयू नहर की पटरी पर इकट्ठा है। इस सूचना पर थाना नानपारा की पुलिस टीम व एसओजी टीम द्वारा सरयू नहर पटरी पर पहुंच कर घेरा बंदी की गयी। अपने आप को पुलिस टीम से घिरता देख अपराधियों ने जानलेवा हमले की नियति से पुलिस पार्टी फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लग गई। पुलिस टीम द्वारा घायल अपराधी के अतिरिक्त उसके चार साथियों को भी घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया गया। अपराधियों का एक साथी मौके से फरार हो गया है जिसकी तलाश की जा रही है। घायल अपराधी की पहचान कदीर पुत्र शफीक निवासी सिद्धवाह थाना माती जनपद बाराबंकी के रूप में हुई। प्राथमिक जानकारी में अभियुक्त कदीर के विरुद्ध हत्या सहित कई अन्य अपराधों का पूर्व में पंजीकृत होना पाया गया। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया तथा शेष **04** अपराधियों कृष्णा कुमार, कुलदीप गुप्ता, हरेन्द्र गुप्ता, उदयराज चौहान निवासीगण खारोह थाना रेउसा जनपद सीतापुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अपराधियों के पास से तलाशी में **01** देशी तमंचा **09** एमएम, **01** जिंदा कारतूस एवं **01** खोखा कारतूस **09** एमएम व **01** कार और चोरी से काटे गए बिजली के तारों के कई बंडल और तार काटने के कई औजार बरामद हुए है। घटना की सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक व अधिकारीगण द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी टीमः-
थाना नानपारा

- प्रभारी निरीक्षक श्री राजनाथ सिंह
- निरीक्षक अपराध श्री अवधेश यादव
- व0उ0नि0 श्री मदन लाल
- उ0नि0 ध्रुवनरायन मौर्य
- उ0नि0 श्री सौरभ पाण्डेय
- उ0नि0 श्री सुरेश यादव
- उ0नि0 विकास वर्मा
- मुख्य आरक्षी सुरेश सिंह
- मुख्य आरक्षी रामप्रताप सिंह
- मुख्य आरक्षी रितेश रावत
- मुख्य आरक्षी प्रमोद यादव
- आरक्षी आलोक सिंह
- आरक्षी हिमांशू सिंह

- आरक्षी नीलकमल
- आरक्षी अवधेश कुमार
- आरक्षी राहुल सिंह
- आरक्षी अमरेश बहादुर
- आरक्षी अनुराग सिंह
- आरक्षी अमरनाथ यादव

- स्वॉट टीम
- प्रभारी श्री राकेश कुमार सिंह
  उ0नि0 श्री राशिद खान
- उ0नि0 श्री पुर्णेश नरायन पाण्डेय
- मुख्य आरक्षी मो०अख्तर
- मुख्य आरक्षी अजीत चन्द
- मुख्य आरक्षी सुधीर यादव
- आरक्षी नरोत्तम पुरी

थाना – मोतीपुर

थाना मोतीपुर पुलिस व SSB के संयुक्त आपरेशन में 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, 49 ग्राम नाजायज स्मैक व एक कार बरामद

दिनांक – 12.08.2026
मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 352/2026 धारा 8/21 NDPS ACT

गिरफ्तार अभियुक्त –
1 रिजवान पुत्र रियाज अली उम्र 28 वर्ष निवासी रमपुरा कमन थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली
2. कासिम अली पुत्र सफीउल्ला उम्र 28 वर्ष निवासी रौली बौरी थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
3. आलम पुत्र अलीअहमद उम्र 32 वर्ष निवासी कादरगंज थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली

बरामदगी –
अभियुक्त रिजवान के पास से 15 ग्राम स्मैक
अभियुक्त कासिम अली के पास से 15 ग्राम स्मैक
अभियुक्त आलम के पास से 19 ग्राम स्मैक
कुल 49 ग्राम स्मैक व एक स्विफ्ट कार

विवरण-
अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम एवं मादक पदार्थो की तस्करी व तस्करी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मा गोंड के नेतृत्व में दिनांक 12.08.2026 को भारत नेपाल बार्डर पर थाना मोतीपुर पुलिस व SSB की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना मोतीपुर क्षेत्रान्तर्गत बलईगांव पुलिया के पास 03 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया जिनकी पहचान 1.रिजवान पुत्र रियाज अली उम्र 28 वर्ष निवासी रमपुरा कमन थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली, 2.कासिम अली पुत्र सफीउल्ला उम्र 28 वर्ष निवासी रौली बौरी थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर, 3.आलम पुत्र अलीअहमद उम्र 32 वर्ष निवासी कादरगंज थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली के रूप में हुई। अभियुक्तगण के कब्जे से 49 ग्राम स्मैक व 01 स्विफ्ट कार बरामद हुआ। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर थाना मोतीपुर पर मु0अ0सं0 352/2026 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-
थाना मोतीपुर पुलिस टीम
1. प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मा गोंड
2. उ0नि0 अजेश कुमार
3. हे0का0 गट्टू पाण्डेय
4. हे0का0 अजय गौड
5. का0 सूरज कुमार

59 वी BN SSB बलईगांव
ASI/GD चितरंजन नाथ

HC/GD प्रशांत डी मकदूम
,HC/GD इंद्र भान
CT/GD एजाज अंसारी,
CT/GD रोशन सारकी
CT/GD कृष्णपाल

<u>थाना – रुपईडीहा</u>

2.5 कि0ग्रा0 नाजायज अफीम के साथ 01 नेपाली अभियुक्ता गिरफ्तार

दिनांक – 17.08.2026
मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 225/2026 धारा 8/21 NDPS ACT

गिरफ्तार अभियुक्त –
पुलिस टीम रुपईडीहा
1. प्र0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार मिश्रा
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार
3. आ0 विकास प्रजापति,
4. आ0 मनोज वर्मा
5. आ0 अभिषेक राय

थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच।
SSB टीम रुपईडीहा
1. उ0नि0/स0 श्री देवेन्द्र सिंह,
2. स0उ0नि/सि0 श्री तपन बरुआ
3. म0का0/स0 कु0 प्रियंका
4. म0का0/स0 जी0 प्रवीना बाबु भाई

F - COY 42 BN SSB नानपारा बहराइच

बरामदगी –
2.5 कि0ग्रा0 नाजायज अफीम (अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत 30 लाख रूपये)

विवरण-
भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक **16.08.2026** को थाना रुपईडीहा पुलिस व **SSB** की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान **SSB** चेक पोस्ट कस्बा रुपईडीहा के पास एक संदिग्ध महिला से पूछताछ व तलाशी ली गयी तो अभियुक्ता की पहचान मनपुरा बुद्धा पुत्री चिज बदामगर उम्र करीब **65** वर्ष निवासी थबांग वार्ड न0 **5** रालपा राष्ट्र नेपाल के रूप में हुई जिसके कब्जे से **2.5** कि0ग्रा0 नाजायज अफीम बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मु0अ0सं0 **225/2026** धारा **8/21 NDPS ACT** पंजीकृत कर अभियुक्ता की गिरफ्तारी की गयी तथा नियमानुसार उक्त अभियुक्ता को माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-
पुलिस टीम रुपईडीहा
1. प्र0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार मिश्रा
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार
3. आ0 विकास प्रजापति,

4. आ0 मनोज वर्मा

5. आ0 अभिषेक राय

थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच।

SSB टीम रुपईडीहा

1. उ0नि0/स0 श्री देवेन्द्र सिंह,

2. स0उ0नि/सि0 श्री तपन बरुआ

3. म0का0/स0 कु0 प्रियंका

4. म0का0/स0 जी0 प्रवीना बाबु भाई

F - COY 42 BN SSB नानपारा बहराइच

<u>थाना – रिसिया</u>

चोरी के मुकदमें का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,
05 चोरी के इंजन बरामद

दिनांक –

मु0अ0सं0 व धारा –

1.मु0अ0सं0 232/26 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना रिसिया बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –

वकील पुत्र छेदन नि0 नरसिंहडीहा थाना रिसिया जनपद बहराइच

बरामदगी –

05 इंजन -

1. शक्तिमान राजकोट न्यू डीजल इंजन (पुराना)

2. पंपिंग सेट (पुराना)

3. कमांडर रंग हरा (पुराना)

4. किर्लोस्कर (पुराना)

5. बोस्टन (पुराना)

विवरण-

वादी मुकदमा श्री लल्लन खाँ पुत्र ननकू खाँ निवासी ग्राम विशुनापुर थाना रिसिया जनपद बहराइच की चोरी से संबंधित प्राप्त तहरीर सूचना पर मु0अ0सं0 232/26 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस बनाम वकील पुत्र छेदन नि0 नरसिंहडीहा थाना रिसिया जनपद बहराइच के पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 17.08.2026 मुकदमें का वांछित अभियुक्त वकील पुत्र छेदन को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-

1.उ0नि0 श्री संजय यादव

2.हे0का0 इकबाल अहमद

3.हे0का0 विजय यादव

4.का0 प्रमोद यादव

<u>थाना – मोतीपुर</u>

थाना मोतीपुर पुलिस व SSB के संयुक्त आपरेशन में
583 ग्राम चरस व मोटर साईकिल बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 19.08.26
मु0अ0सं0 व धारा –
मु0अ0सं0 362/26 धारा 8/20 NDPS ACT थाना मोतीपुर जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –
शाहरूख खान उर्फ लल्लू पुत्र सलीम खान उम्र 31 वर्ष निवासी मेढकिया पोंडा थाना मोतीपुर जनपद बहराइच

बरामदगी –
583 ग्राम चरस
01 मोटर साइकिल प्लेटिना

विवरण-
अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं तस्करी में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मोतीपुर के नेतृत्व में दिनांक **19.08.2026** को भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में थाना मोतीपुर पुलिस एवं **SSB** की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान थाना मोतीपुर क्षेत्रान्तर्गत बलईगांव पुलिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से **583** ग्राम चरस तथा एक मोटरसाइकिल प्लेटिना बरामद हुई। पूछताछ में अभियुक्त की पहचान शाहरूख खान उर्फ लल्लू पुत्र सलीम खान, उम्र **31** वर्ष, निवासी मेढ़किया पोंडा, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना मोतीपुर पर **मु0अ0सं0 362/2026**, धारा **8/20 NDPS Act** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय, बहराइच के समक्ष पेश किए जाने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-
थाना मोतीपुर पुलिस टीम
1. प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रह्मा गोंड
2. उ0नि0 अजेश कुमार
3. हे0का0 गट्टू पाण्डेय
4. हे0का0 दयानन्द सिंह
5. का0 अनुराग सिंह
6. का0 प्रेम प्रकाश
7. का0 सूरज कुमार

59 वी BN SSB बलईगांव
ASI/GD जगदंबा प्रसाद

ASI/GD संजीव कुमार
CT/GD जितेंद्र सिंह,
CT/GD मिसाल सतीश
CT/GD एन मेघनादम

<u>थाना – विशेश्वरगंज</u>

.12 बोर अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 20.08.2026
मु0अ0सं0 व धारा – मु0अ0सं0 259/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त –
शिवम पुत्र अलगू ग्राम खानपुर मल्लोह थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच

बरामदगी –
अवैध तमंचा .12 बोर

विवरण-
दिनांक 19.08.2026 को थाना विशेश्वरगंज पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों की तलाश व चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत खानपुर मल्लौह के पास 01 संदिग्ध व्यक्ति शिवम पुत्र अलगू ग्राम खानपुर मल्लोह थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच के कब्जे से .12 बोर तमंचा बरामद बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर दिनांक 20.08.2026 को थाना विशेश्वरगंज पर मु0अ0सं0 259/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय बहराइच रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-
1.उ0नि0 श्री राधेश्याम यादव
2.हे0का0 बिजली प्रसाद
3.हे0का0 सर्वेन्द्र कुमार
4.हो0गा0 योगेश कुमार पाण्डेय

थाना –दरगाह शरीफ

- बहराइच पुलिस की बड़ी कार्यवाही
- ₹25,000/- पुरस्कार घोषित वांछित फरार अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 21.08.2026
मु0अ0सं0 व धारा –
मु0अ0सं0-372/2026 धारा-8/20 NDPS Act व 317(2) BNS तथा मु0अ0सं0-373/2026 धारा-261/262 BNS

गिरफ्तार अभियुक्त –
विशाल मिश्रा पुत्र बच्चूलाल मिश्रा निवासी गिलौला बाजार थाना गिलौला बाजार श्रावस्ती उम्र 25 वर्ष

विवरण-

दिनांक 16.08.2026 को थाना दरगाह शरीफ पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान 02 संदिग्ध व्यक्तियों 1. विशाल मिश्रा पुत्र बच्चूलाल मिश्रा नि0 गिलौला बाजार, श्रावस्ती एवं 2. रफीक पुत्र अतीउल्ला नि0 तिलकपुर चौराहा, गिलौला बाजार, श्रावस्ती को कुल 9.44 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना दरगाह शरीफ पर मु0अ0सं0-372/2026 धारा-8/20 NDPS Act व 317(2) BNS तथा मु0अ0सं0-373/2026 धारा-261/262 BNS पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त रफीक को विधिक प्रक्रिया अनुरूप माननीय न्यायालय रवाना किया गया था । जबकि अभियुक्त विशाल मिश्रा उपरोक्त दोनों मुकदमों में वांछित एवं फरार चल रहा था।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा उक्त वांछित फरार अभियुक्त विशाल मिश्रा पर ₹25,000/- का इनाम घोषित करते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आज दिनांक 21.08.2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र झिंगहाघाट बाईपास से उक्त अभियोगों में वांछित एवं ₹25,000/- के इनामिया फरार अभियुक्त विशाल मिश्रा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-

1.नि0अ0 श्री जयराम यादव
2.थानाध्यक्ष श्री अमितेन्द्र सिंह
3.उ0नि0 श्री सुरेश यादव
4.उ0नि0 श्री आशुतोष कुमार राय
5.हे0का0 शशि कपूर राव
6.हे0का0 राकेश कुमार
7.का0 सत्यपाल गौतम
8.का0 विवेक यादव

<u>थाना – रानीपुर</u>

नकबजनी के मुकदमे मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 21.08.2026

मु0अ0सं0 व धारा –

मु0अ0सं0 150/2026 धारा 305A/331(4)BNS व मु0अ0सं0 157/2026 धारा 305(ए)/62/331(4) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त –

सोनू यादव पुत्र लक्ष्मी नारायण यादव निवासी टिकोरा मोड़ हिमरिया थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच

विवरण-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) श्री आयुष विक्रम सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पयागपुर श्रीमती हर्षिता तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रानीपुर श्री हरेन्द्र नाथ राय नेतृत्व में थाना स्थानीय के ग्राम पिपरिया महिपाल सिंह मे दिनांक **12/13.08.2026** के रात मे हुई चोरी के संबंध मे श्री मशाराम मौर्य पुत्र हीरालाल मौर्य व रोशन लाल द्विवेदी पुत्र गिरवर द्विवेदी निवासीगण पिपरिया महिपाल सिंह थाना रानीपुर जनपद बहराइच की लिखित तहरीर पर **मु0अ0सं0 150/2026 धारा 305A/331(4)BNS व मु0अ0सं0 157/2026 धारा 305(ए)/62/331(4) बीएनएस** पंजीकृत किया गया। जिसके सफल अनावरण हेतु थाना स्तर पर उच्चाधिकारीगण द्वारा टीम गठित की गयी थी। थाना स्थानीय की टीम द्वारा **01** नफर अभियुक्त सोनू यादव पुत्र लक्ष्मी नारायण यादव निवासी टिकोरा मोड़ हिमरिया थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच बताया को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर में मा0 न्यायालय रवाना किया

गिरफ्तारी टीमः-

1.व0उ0नि0 रामकेश

2.उ0नि0 सौरभ मिश्र

3.हे0का0 अमित यादव

4.का0 मंजीत मौर्य

थाना – रामगांव

- वांछित वारण्टियों के विरुद्ध चलाया गया विशेष अभियान
- कुल 20 अभियुक्तगण (18 वारण्टी/ 02 वांछित) गिरफ्तार

दिनांक – 23.08.2026

गिरफ्तार अभियुक्त –
कुल 20 अभियुक्तगण (18 वारण्टी/ 02 वांछित)

विवरण-
पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना रामगांव पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्रों के अनुपालन में विभिन्न पुलिस टीमों का गठन कर संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। अभियान के क्रम में दिनांक 22.08.2026 को विभिन्न प्रकरणों में कुल 18 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया।
इसी क्रम में थाना रामगांव पर पंजीकृत चोरी से संबंधित मु0अ0सं0 298/2026 धारा 305(A)/331(4)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त 1.सहाबुद्दीन उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र अली बहादुर तथा 2.मुन्ना उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र अली बहादुर, निवासीगण ग्राम तारापुर खुर्द, थाना रामगांव, जनपद बहराइच, को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 23.08.2026 को डाढ़े खजूर से आढ़ीपुर जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारशुदा कुल 20 अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-
1. थानाध्यक्ष श्री दिवाकर तिवारी
2. उ0नि0 हरिराम यादव
3. उ0नि0 श्री दुर्गेश वर्मा
4. उ0नि0 जैनेन्द्र कुमार
5. उ0नि0 श्री राणाराज सिंह
6. उ0नि0 श्री हेमन्त सिंह
7. उ0नि0 श्री नन्दकिशोर सिंह
8. हे0का0 अमरजीत
9. का0 सत्यानन्द यादव
10. का0 विनय गौतम
11. का0 आशुतोष गुप्ता
12. का0 शमशेर सिंह
13. का0 रणधीर मौर्या
14. का0 संजीव पटेल
15. का0 सुरेन्द्र वर्मा

16. कां0 दीपक यादव
17. कां0 विष्णु प्रताप सिंह
18. कां0 चन्द्रकेश
19. कां0 रोहित
20. कां0 इन्द्रेश यादव
21. कां0 आशुतोष प्रजापति
22. कां0 सोनू यादव
23. कां0 कृष्ण कुमार चौधरी
24. कां0 अंकित सिंह
25. कां0 बादल सिंह
26. कां0 अमित तिवारी
27. म0कां0 रंजना
28. म0कां0 प्रतिमा प्रजापति
29. म0कां0 विभा तिवारी
30. म0कां0 रिंकी
31. म0कां0 ममता

<u>थाना – रामगांव</u>

फीस के नाम पर लाखों रुपये की धनराशि लेकर कूटरचित शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध कराने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – 25.08.2026
मु0अ0सं0 व धारा –
मु0अ0सं0- 301/2026 धारा - 419/420/467/468 भा0द0सं0 थाना रामगाव जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. प्राचार्य सुरेन्द्र कुमार सिंह (उर्फ सुरेन्द्र राठौर) पुत्र दीप सिंह नन्दा इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एवं टेक्नालाजी नानपारा रोड, तैबाजोत बहराइच मूलपता निवासी धनावा थाना खैरीघाट जनपद बहराइच

विवरण-

शिकायतकर्ता रवि प्रताप पुत्र राममीत, निवासी ग्राम पुरैना वाजिद, थाना कोतवाली उतरौला, जनपद बलरामपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक, बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सूचना दी गई कि नन्दा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, बहराइच में विद्यार्थियों से फीस के नाम पर लाखों रुपये की धनराशि ली जा रही है तथा कूटरचित शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिसको लेकर वहां के छात्र बहुत उद्वेलित और परेशान हो रहे थे, इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना रामगांव पर **मु0अ0सं0 301/2026**, धारा **419/420/467/468 भा0द0सं0** पंजीकृत कराया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गई।
विवेचना के क्रम में समस्त अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए विवेचना में प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में नामजद अभियुक्त प्राचार्य सुरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ सुरेन्द्र राठौर पुत्र दीप सिंह, नन्दा इंस्टीट्यूट, नानपारा रोड, तैबाजोत, बहराइच, मूल निवासी धनावा, थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच को हिरासत में लिया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-

1. **SO** श्री दिवाकर तिवारी
2. उ0नि0 श्री हेमन्त कुमार सिंह
3. उ0नि0 श्री मैनेजर सिंह
4. हे0का0 तेजप्रताप चौधरी
5. का0 कृष्ण कुमार चौधरी
6. का0 अमित यादव
7. का0 शुभम शर्मा
8. का0 शोभा सिंह

थाना – रानीपुर

नकबजनी के मुकदमे मे वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

चोरी का माल बरामद

दिनांक –

मु0अ0सं0 व धारा –

1. मौजी लाल पुत्र राम पाल निवासी टिकोरा मोड़ हेमरिया थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच

2. रवि सोनी पुत्र ननकउ निवासी टिकोरा मोड थानाकोतवाली देहात जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. मौजी लाल पुत्र राम पाल निवासी टिकोरा मोड़ हेमरिया थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच

2. रवि सोनी पुत्र ननकउ निवासी टिकोरा मोड थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच

बरामदगी –

कुल चार अदद मंगल सूत्र **(02** मंगल सूत्र लाल गुरिया, **01** मंगल सूत्र काले गुरिया, **01** मंगल सूत्र लाल नीला गुरिया**)**

विवरण-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) श्री आयुष विक्रम सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पयागपुर श्रीमती हर्षिता तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रानीपुर श्री हरेन्द्र नाथ राय नेतृत्व में थाना स्थानीय के ग्राम पिपरिया महिपाल सिंह मे दिनांक **12/13.08.2026** व **21.08.2026** की रात मे हुई चोरी के संबंध मे श्री मंशाराम मौर्य पुत्र हीरालाल मौर्य व रोशन लाल द्विवेदी पुत्र गिरवर द्विवेदी निवासीगण पिपरिया महिपाल सिंह थाना रानीपुर जनपद बहराइच की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 **150/2026** धारा **305A/331(4)BNS** व मु0अ0सं0 **157/2026** धारा **305(**ए**)/62/331(4)** बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसके सफल अनावरण हेतु थाना स्तर पर उच्चाधिकारीगण द्वारा टीम गठित की गयी थी। विवेचना के दौरान थाना स्थानीय की टीम द्वारा **02** अभियुक्तगण **1.** मौजी लाल पुत्र राम पाल निवासी टिकोरा मोड़ हेमरिया थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच **2.** रवि सोनी पुत्र ननकउ निवासी टिकोरा मोड थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच को गिरफ्तार किया गया अभियुक्तगण से **01** मोटरसाइकिल व चोरी किये गये जेवरात/अभूषण व नगदी बरामद किये गये। अभियुक्तगण रवि व मौजीलाल उपरोक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही कर में मा0 न्यायालय रवाना किया।

गिरफ्तारी टीमः-

1. व0उ0नि0 रामकेश

2. उ0नि0 सौरभ मिश्र

3. हे0का0 शिवानंद

4. का0 भगवानदीन वर्मा

5. का0 जितेन्द्र कुमार

6. का0 अभिषेक तिवारी

7. क0 सतीश यादव

<u>थाना – रुपईडीहा</u>

155 ग्राम नाजायज स्मैक व 01 अदद मोटर साइकिल के साथ
01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक – **28.08.2026**
मु0अ0सं0 व धारा –
मु0अ0सं0 - **230/2026** धारा **8/21 NDPS ACT** थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच

गिरफ्तार अभियुक्त –
जावेद खां पुत्र महमूद खां उम्र करीब **36** वर्ष निवासी सुभानपुरवा, टेपरहा थाना रामगांव जनपद बहराइच

बरामदगी –
155 ग्राम नाजायज स्मैक
एक अदद मोबाइल फोन **OPPO**
एक अदद मोटर साइकिल वाहन

विवरण-
मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक **27.08.2026** को पुलिस एवं **SSB** की संयुक्त टीम द्वारा पिलर संख्या **651/11** के पास समय करीब **20:55** बजे अभियुक्त जावेद खां पुत्र महमूद खां, उम्र करीब **36** वर्ष, निवासी सुभानपुरवा टेपरहा, थाना रामगांव, जनपद बहराइच के कब्जे से **155** ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना रुपईडीहा पर मु0अ0सं0-**230/2026**, धारा **8/21 NDPS Act** पंजीकृत कर अभियुक्त जावेद खां उपरोक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय, बहराइच के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीमः-
1. प्र0नि0 हरेन्द्र कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार
3. आरक्षी रविन्द्र यादव
4. आरक्षी अभिषेक सिंह
5. आरक्षी रविन्द्र यादव
6. आरक्षी सोविन्द्र यादव
7. आरक्षी जयचन्द्र गौड

थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच

8. उ0नि0/स0 भूपेन्द्र सिंह,
9. स०उ0नि०/स0 संजीव कुमार
10. मु0अ0/स0 पुरूषोत्तम कुमार
11. आ0/स0 कपिल कुमार **F-COY 42 BN SSB**